

25/5/18 पत्रावली आज राजस्व लेखी कदालत न्याय
कापडे डार 2018 के कैंप कीजराड के
पेशा हुई । वार्दा ऐव प्रतिवर्दी संगीने
कैंप के उपलक्षण होकर राजीवामा
पेश का निवेक किया कि उक्त वाद के
वादग्रस्त आवाजी का हाने तदसिल स्वर
पर विभाजन करवा दिया है इसलिये
इस वाद के विद्गे फालामा जवके सुझाराम
वार्दा का राजीवामा स्वीकार कर
इस वाद के आगामा कर्षिवशी इसी सुझाराम
स्वर पर समाप्त की जाती है । पत्रावली
के सल्ल शुमार होकर दाखिल दफता में

सहायक कलेक्टर
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहटन
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
 कैम्प कोर्ट का स्थान :- कोठरास

राजीनामा प्रपत्र

सेवामें,

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,,

दिनांक 25/5/18

चौहटन

बनाम

प्रकरण संख्या छुडाराम

हुकराम

अन्तर्गत धारा

53, 88, 188 का अधिनियम

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री छुडाराम का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

उक्त वाद में वादग्रस्त भूमि का हाने कापट्टी दहमति से तदालत का चौहटन में बरपरा कावादिना है इसलिये इस वाद का विद्रो का समाप्त जेदे

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. छुडाराम

प्रतिवादी पक्ष 1. हुकराम

2.

2.

3.

3.

4.

4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

(वादी पक्ष) नाम

(प्रतिवादी पक्ष) नाम

प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(सिद्ध)
 पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर
 चौहटन